

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग, जयपुर

क्रमांक: एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2015/

दिनांक: 25.09.2015

1. समस्त जिला रसद अधिकारी
2. समस्त उपखण्ड अधिकारी
3. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति
4. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका

विषय:- सीडिंग उपरान्त सत्यापन कार्य करने हेतु।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है भामाशाह प्लेटफार्म के माध्यम से लाभ हस्तांतरण हेतु सामाजिक सुरक्षा पेंशन, नरेगा मजदूरी व राशन वितरण के लाभार्थियों के सीडिंग का कार्य किया जा रहा है लेकिन कतिपय ब्लॉकों/ नगर निकाय में सीडिंग उपरान्त सत्यापन का कार्य अपेक्षित गति से नहीं किया जा रहा है। जिसके अभाव में संबंधित लाभार्थियों को लाभ हस्तांतरण होने में विलम्ब होगा।

अतः आप सीडिंग के साथ-साथ सत्यापन भी सुनिश्चित करें। यदि सीडिंग उपरान्त सत्यापन का कार्य 10 दिवस की अवधि में नहीं किया जाता है तो सत्यापन की कार्यवाही को पूर्ण मानते हुए लाभार्थियों को लाभ हस्तांतरण कर दिया जाएगा। यदि इस प्रक्रिया के बाद भी त्रुटिवश कोई लाभ हस्तांतरित हो जाता है तो उसके लिए संबंधित सत्यापक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय



(अखिल अरोरा)
शासन सचिव

कमांक: एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2015/
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:

दिनांक: 25.09.2015

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।
4. समस्त जिला कलक्टर्स.....
5. उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग.....
6. ए.सी.पी.(उपनिदेशक), सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, जिला.....


(ओम प्रकाश बैरवा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग